केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 25)

[24 मई, 1968]

कतिपय केन्द्रीय विधियों का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारण करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. कतिपय विधियों का विस्तारण और संशोधन—(1) अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए सभी नियमों, आदेशों और विनियमों का इसके द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जाता है और वे उस राज्य में प्रवृत्त होंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से, अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों का संशोधन उसमें विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा ।

3. उन विधियों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन जो जम्मू-कश्मीर में प्रवृत्त नहीं हैं—अनुसूची में उल्लिखित किसी अधिनियम में ऐसी किसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति निर्देश का अर्थान्वयन, उस राज्य के संबंध में उस राज्य में प्रवृत्त विधि के, यदि कोई है, प्रति निर्देश से किया जाएगा ।

4. जहां नए प्राधिकरण गठित किए गए हैं वहां प्राधिकरणों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन—जम्मू-कश्मीर राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उस विधि के पारित किए जाने की तारीख को किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या उस राज्य में किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश का चाहे वह किन्हीं भी शब्दों में हो, जहां तत्स्थानी नया प्राधिकरण उस राज्य पर अब विस्तारित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया है, इस प्रकार प्रभाव होगा मानो वह नए प्राधिकरण के प्रति निर्देश हो ।

5. निरसन और व्यावृत्ति— यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले जम्मू-कश्मीर राज्य* में उस राज्य पर अब विस्तारित किसी अधिनियम की तत्स्थानी कोई विधि प्रवृत्त है तो वह विधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रारम्भ पर निरसित हो जाएगी :

परन्तु इस निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा—

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या सहन की गई कोई बात,

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व,

(ग) इस प्रकार निरसित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या किया गया कोई प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, अनुदेश या निदेश, विरचित किया गया प्ररूप, उप-विधि या स्कीम, अभिप्राप्त किया गया प्रमाणपत्र, दिया गया परमिट या अनुज्ञप्ति या किया गया रजिस्ट्रीकरण है) उस अधिनियम के,

---

[1] 15-8-1968, देखिए सा०का०नि० 1482, तारीख 2-7-1968, भारत का राजपत्र, 1968, असाधारण, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 467 ।

* इस अधिनियम को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना सं. सा. का. 3912(अ), तारीख, 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया ।

जो उस राज्य पर अब विस्तारित किया गया है, तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी, और तब तक प्रवर्तन में बनी रहेगी जब तक कि वह उक्त अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई से अधिष्ठित नहीं हो जाती ।

6. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के, जो अब जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया गया है, उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई अधिसूचित आदेश, —

(क) धारा 4 के अर्थ के भीतर तत्स्थानी प्राधिकरण विनिर्दिष्ट कर सकेगा,

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले के, किसी तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को निपटारे के लिए अन्तरण का उपबंध कर सकेगा,

(ग) ऐसे क्षेत्र या परिस्थितियां जिनमें या ऐसा विस्तार जिस तक, या ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए उस धारा द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई को (जिसके अन्तर्गत धारा 5 के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट मामले भी हैं) अब विस्तारित अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन मान्यता दी जाएगी या उसे प्रभावी किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

अधिनियम

शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913

(1913 का 2)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

मोटर यान अधिनियम, 1939

(1939 का 4)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—खण्ड (9क) का लोप करें ।

धारा 9—उपधारा (2) और उपधारा (4) का लोप करें ।

धारा 28—उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), और उपधारा (5) का लोप करें ।

धारा 29—उपधारा (1) में, —

(क) खण्ड (क) में, "या" का लोप करें ;

(ख) खण्ड (ख) का लोप करें ।

धारा 38—उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखें :—

"(4) इस अधिनियम के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण जब तक प्रभावशील बना रहता है तब तक संपूर्ण भारत में विधिमान्य होगा ।" ।

धारा 42—उपधारा (3) के खण्ड (ज) का लोप करें ।

धारा 63—उपधारा (5) का लोप करें ।

धारा 96—(क) उपधारा (2क) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य में या" का लोप करें और परन्तुक में "जम्मू-कश्मीर राज्य का या" का लोप करें ।

(ख) उपधारा (6) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य का या" लोप करें ।

छठी अनुसूची—प्रथम और द्वितीय स्तंभों में "पश्चिमी बंगाल" और द्वितीय स्तंभ में उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् "जम्मू-कश्मीर" और "जे एण्ड के" अन्त:स्थापित करें ।

चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949

(1949 का 38)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

बन्दी अन्तरण अधिनियम, 1950

(1950 का 29)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950

(1950 का 64)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य और" का लोप करें ।

खान अधिनियम, 1952

(1952 का 35)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

नोटेरी अधिनियम, 1952

(1952 का 53)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

धारा 2—(क) खण्ड (क) का लोप करें ।

(ख) खण्ड (घ) के परन्तुक में,—

(i) "या तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन" के स्थान पर "परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अधीन" रखें ;

(ii) "या इंग्लैण्ड में मास्टर आफ फेकल्टीज द्वारा" का लोप करे ;

(iii) "भारत के किसी भाग में नोटेरी का व्यवसाय कर रहा था" के लिए निम्नलिखित रखें—

"भारत के किसी भाग में नोटेरी का व्यवसाय कर रहा था :

परन्तु यह और भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में उक्त दो वर्ष की कालावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त होगा ।" ।

धारा 9—उपधारा (2) में, अन्त:स्थापित करें—

"परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में दो वर्ष की उक्त कालावधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में प्रवृत्त होगा ।" ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

(1955 का 10)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें ।

कम्पनी अधिनियम, 1956

(1956 का 1)

धारा 1—उपधारा (3) में, —

(क) पहले परन्तुक का लोप करें ;

(ख) दूसरे परन्तुक में, "और भी" का लोप करें ।

धारा 3—उपधारा (1) के खण्ड (ii) के उपखण्ड (च)(2) के स्थान पर निम्नलिखित रखें, "जहां तक बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगमों का संबंध है जम्मू-कश्मीर (विधि-विस्तारण) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पूर्व, तथा जहां तक अन्य निगमों का संबंध है केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ होने से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त थी"।

धारा 620ख के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित करें—

"उन कम्पनियों के बारे में विशेष उपबंध जो जम्मू-कश्मीर में हैं।"

620ग. उन कम्पनियों के बारे में विशेष उपबंध जो जम्मू-कश्मीर में हैं—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ या किसी पश्चात्वर्ती तारीख को और से इस अधिनियम के उपबंधों में से ऐसे कोई उपबंध, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं :—

(क) ऐसी किसी विद्यमान कम्पनी को जो जम्मू-कश्मीर राज्य में है ;

(ख) उस राज्य में केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ होने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई कम्पनी को,

लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों तथा उपान्तरों या अनुकूलनों सहित लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।"।

लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959

(1959 का 23)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें।

शिक्षु अधिनियम, 1961

(1961 का 52)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें।

महाप्रशासक अधिनियम, 1963

(1963 का 45)

धारा 1—उपधारा (2) में, "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" का लोप करें।

धारा 20—(क) उपधारा (1) में, "उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है" के स्थान पर "भारत में" रखें।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित करें :—

"(3) केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ से पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुदत्त कोई प्रोबेट या प्रशासन पत्र ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे ही प्रभावी होंगे मानो ऐसे प्रोबेट या प्रशासन पत्र इस धारा के अधीन अनुदत्त किए गए हैं।"।

धारा 21 का लोप करें।

धारा 37—(क) खण्ड (क) में "जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है" के स्थान पर "भारत में" रखें।

(ख) "या जम्मू-कश्मीर राज्य में" का लोप करें।

धारा 56—"उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है" और "उक्त राज्यक्षेत्रों में" के स्थान पर "भारत में" रखें।

———